

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मुकदमा नं. :- 97 / 2022

अंजना वगै० बनाम राजेन्द्र वगै०


वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रोहताश कुल्हरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.04.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजीवनगर के हाल भूमि खसरा नं. 275/24 कुल रकबा 2.40 है० का रकबा 0.15 है० कम किया जाकर 2.25 है० किया जाने व शेष बचा 0.15 है रकबा खसरा नं. 30 के उतरी पूर्वी कोने में तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शानुसार जोड़े जाने तथा खसरा नं. 29 रकबा 1.18 है० का रकबा भी 0.15 है० कम किया जाकर 1.03 है० किया जाने व शेष रकबा 0.15 है० खसरा नं. 276/29 की उतरी सीमा संलग्न नजरी नक्शानुसार में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगी। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
हुन्झुनू (सज.)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1
योग	योग	1


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
हुन्झुनू (सज.)